न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या–28/2025

1. मानसिंह पुत्र हरनाम जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मनीराम पुत्र मामराज जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. बलबीरसिंह पुत्र चन्दूराम जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2

निर्णय दिनांकः– 13/03/2026

अपीलांट मानसिंह पुत्र हरनाम जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा द्वारा तहसीलदार (राजस्व) भादरा के निर्णय दिनांक 21.05.2025 जिसमें चक 5 जे.एस.एल. तहसील भादरा के मु.नं. 92 के कि.न. 24 व 25 में से विधि विरूद्व रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया को निरस्त करवाने बाबत् अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रेस्पोडन्ट न. 1 ता 2 ने मातहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि चक न. 5 जे.एस.एल. तहसील भादरा में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। इस भूमि में आवागमन के लिए रास्ता मु.नं. 91 92 93 में से होकर चालु रहा है। इस रास्ता से प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते है, मगर अब इस रास्ता को मानसिंह पुत्र हरनाम ने मु.नं. 92 के कि.नं. 24 में बन्द कर दिया है, जिसको खुलवाया जावे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर मातहत अदालत ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट चाही, जिस पर हल्का पटवारी ने रिपोर्ट दिनांक 21.05.2025 को पेश की कि चक नं. 5 जे. एस. एल. तहसील भादरा के मु.नं. 92 के कि.नं. 24 व 25 में रास्ता मानसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

पुत्र हरनाम ने बन्द कर दिया है। स्पष्ट रिपोर्ट नहीं होने के बावजूद भी मातहत अदालत द्वारा दिनांक 21.05.2025 को रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

2. चक न. 5 जे. एस. एल. तहसील भादरा के मु.न. 92 के कि.न. 24/1 की 0.240, 24/2 की 0.0130 गै. मु. रास्ता 25 की 0.2530, मु.न. 97 के कि.न. 4/1 की 0.1260, 5 की 0.2530, 6 की 0.2530, 15 ता 16 की 0.5060, 25 की 0.0630 कुल 1.7070 हैक्टेयर भूमि का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। चक न. 5 जे.एस.एल. तहसील भादरा के मु.नं. 92 के कि.नं. 24/2 की 0.0130 गै. मु. रास्ता दर्ज है, जो उतर से दक्षिण पश्चिमी साईड में है, चक नं. 5 जे.एस.एल. तहसील भादरा के मु.न. 92 के कि.नं. 24 व 25 में गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसके बावजूद भी चक नं. 5 जे.एस.एल. तहसील भादरा के मु.नं. 92 के कि.नं. 24 व 25 में उतरी साईड में एंव कि.नं. 25 में पूर्वी साईड में रास्ता खुलनाने का आदेश पारित किया है जबकि कि.नं. 25 में जहां से रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है। वहां पक्का खाला बना हुआ है। कानूनी स्थिति के मुताबिक गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर ही मातहत अदालत को रास्ता खुलवाने का अधिकार है। इस प्रकार मातहत अदालत द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जो निरसत योग्य है।

3. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जबकि कानूनी स्थिति के मुताबिक किसी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है मातहत अदालत व हल्का पटवारी द्वारा सारी कार्यवाही आपसी मिलिभगत कर क्षैत्राधिकार से बाहर रिपोर्ट व निर्णय पारित किया है जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी बिना क्षैत्राधिकार के मनमाना निर्णय पारित किया है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

4. मातहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया कानूनी स्थिति के मुताबिक किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है जबकि मातहत अदालत ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया ना ही रास्ता बाबत जांच व यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:14:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

5. रेस्पोडेन्ट न. 1 ता 2 को अपने खेत आवागमन के लिए अन्य रास्ता मौजूद है उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट न. 1 ता 3 ने साजिसाना तरिके से कानून से बाहर जाकर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है, जिससे अपीलान्ट के साथ अन्याय हुआ है एवं मातहत अदालत ने कानूनी प्रकिया के साथ मजाक किया है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

6. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

7. अपील अदालत के क्षैत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फिस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 21.5.2025 जिसमें चक न. 5 जे.एस.एल. तहसील भादरा के मु.नं. 92 के कि.नं. 24 व 25 में से विधि विरूद्व रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या– 3 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादारा से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्राावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार भादरा के रास्ता खुलवानें के आदेश दिनांक 21.05.2025 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। चक नं0 5 जे.एस.एल. तहसील भादरा के मु0नं0 92 किला नं0 24 व 25 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। किला बंदी होने पर सदामत से चालू रास्ता का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा अपनें क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिनांक 21.05.205 को चक नं0 5 जे.एस.एल. के मु0नं0 92 किला नं0 24, 25 में रास्ता खोलने का आदेश पारित किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार भादरा के आदेश दिनांक 21.05.2025 को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:03 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2 द्वारा अपने में कथन किया कि अपीलांट द्वारा चालू रास्ता को बंद किया गया जो सदामत से चालू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सदामत से चालू रास्ता को न्यायहित में खोला गया है। उक्त रास्ते का मौका निरीक्षण किया जाकर खोला गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करनें पर पाया कि प्रार्थीगण मनीराम पुत्र मामराज, बलवीरसिंह द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चक नं0 5 जे.एस.एल. के मु0नं0 92 किला नं0 24, 25 में बंद रास्ता को खुलवानें बाबत निवेदन किया गया। हल्का पटवारी चक नं0 5 जे.एस.एल. के अनुसार चक नं0 5 जे.एस.एल. के मु0नं0 92 किला नं0 24, 25 का रकबा मानसिंह पुत्र हरनाम जाति जाट साकिन झांसल के नाम दर्ज रिकार्ड हैं उक्त किला नं0 24 व 25 में सदामत से चले आ रहे रास्ते को खातेदार मानसिंह द्वारा बंद कर दिया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा चक नं0 5 जे.एस.एल. के मु0नं0 92 किला नं0 24, 25 में सदामत से चालू रास्ता, जिसे अपीलांट मानसिंह पुत्र हरनाम द्वारा बंद कर दिया था। उक्त बंद रास्ते तहसीलदार भादरा के आदेश क्रमांक राजस्व /25 /602 दिनांक 21.05.2026 द्वारा खुलवाया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा के आदेश क्रमांक राजस्व/25/602 दिनांक 21.05.2026 में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होनें से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 13/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:03 IST
Reason: SelfAttested